न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

In The Court of Additional Collector, Ranchi

अनुसूची –14 फार्म सं. 562
Schedule -14 Form No. 562

आदेश पत्रक
ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम –129
Record Manual 1941 Rule 129

SAR Appeal वाद सं॰ / Case No. 63 R15 वर्ष / Year 07-08 धारा / Section ....

अपीलकर्त्ता / प्र॰ प॰ / आवेदक / Appellant/ F.P./ Petitioner: अब्दुल सत्तार खान वगै० प्रतिवादी / द्वि॰ प॰ / विपक्षी / Respondent/ S.P./ O.P.: सुकरा मुण्डा वगै०

आदेश क्रमांक / तिथि Order No. /Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date.
1	2	3
1 25.12.07	अपीलकर्त्ता अब्दुल सत्तार खान पिता स्व० अली खान कोठ सा० आलम नर्सिंग होम के पास जमील उलाम होटल, थाना-बरियातु जिला-रांची ने SAR वाद संख्या 3171/06-07 में श्री देवनीस किड़ो, विशेष विनियमन पदा० रांची द्वारा दिनांक 29.11.07 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है।	

Contd.

आदेश क्रमांक / तिथि Order No. /Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date.
1	2	3
24-12-2007	अपीलकर्त्ता के आवेदन पर सुनवाई की गई। निम्न न्यायालय ने पूर्व में पारित एस0ए0आर0 वाद सं0–87 / 85–86 में पारित आदेश को सम्पुष्ट करते हुए दखल देहानी का आदेश पारित किया। इस आदेश में किसी प्रकार के परिवर्त्तन की कोई गुंजाइश नही प्रतीत होती है। हलॉकि निम्न न्यायालय को ऐसे मामलों में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–71बी. का प्रयोग करते हुए धारा–46 का उल्लंघन करके दखल करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा व्यवहार न्यायालय को भेज देनी चाहिए। इसका उपयोग सामान्यतः नही किया जाता हैं जबकि इसका प्रभावकारी उपयोग से अवैध हस्तांतरण और कब्जे पर रोक लगायी जा सकती हैं। इसी निरूपण के साथ वर्त्तमान वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 24/12/07 अपर समाहर्त्ता, रॉची।	

E:\Niraj\Orders\SAR 63 R-15!07-08.doc